# न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

## (पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

**अपील संख्याः— 203/20 (18 आयुध अधिनियम 1959 ) (RCMS No.2020/00296)**

जनकसिंह पुत्र श्री मौहरसिंह जाति गूर्जर निवासी बडी बाखर गूर्जर पाडा हिण्डौनसिटी जिला करौली।

.....अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 16.03.2020

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश वकील अपीलान्ट।

### निर्णय

दिनांकः 20.09.2022

प्रस्तुत अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 16.3.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 29.12.2014 को यह आदेश पारित किया गया है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबधित थाने में दिनांक 03.01.2015 से पूर्व जमा कराये जाने है। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया किन्तु अपीलान्ट जनकसिंह द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं कराने पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर न्याय अनुभाग के आदेश कमांक न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लघंन करने पर निलम्बित किया गया था जिसमें अपीलान्ट जनकसिंह का नाम कम संख्या 17 पर दर्ज है। इस निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा अपील में दायर की गई । न्यायालय हाजा द्वारा बाद कार्यवाही अपने पूर्व निर्णय दिनांक 30.08.2018 से प्रकरण रिमाण्ड करते अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रकरण में पुनः कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2020 पारित कर यह मानते हुये कि अपीलान्ट के द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लघंन किया गया है, अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित नहीं है और अपने पूर्व आदेश दिनांक 13.03.2015 को यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पो0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश करते हुए मीमो आफ अपील में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये अखबार में जारी सूचना के तहत अदालत के आदेश कमांक न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से निलम्बित किया गया था। इस निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा अपील में दायर की गई न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 30.08.2018 से प्रकरण रिमाण्ड करते अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु अदालत मातहत ने पुनः कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2020 पारित कर यह मानते हुये कि अपीलान्ट के द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लघंन किया गया है अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित नहीं होना मानकर अपने पूर्व आदेश दिनांक 13.03.2015 को यथावत रखा गया। जो कतई त्रुटीपूर्ण है क्योंकि तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट भूतपूर्व सैनिक है तथा अपीलान्ट को भारतीय सेना में कार्यरत रहने के दौरान जिला कलक्टर डोडा जम्मू कश्मीर के द्वारा लाईसेंस जारी किया था। रिटायरमेन्ट के बाद अपीलान्ट मथुरा में वर्ष 2010–11 से गार्ड की नौकरी कर रहा है तथा राजस्थान में प्रकाशित होने वाले अखबार राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत, दैनिक भास्कर का मथुरा उ0प्र0 में वितरण नहीं होता। इसलिए अपीलान्ट को 2015 मे होने वाले पंचायत चुनावों व शस्त्र जमा कराने की सूचना की कोई जानकारी नहीं हो सकी और वह जानकारी के अभाव में शस्त्र को चुनाव से पूर्व जमा नहीं करा सका था। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि स्वयं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश कमांक 9356 दिनांक 29.12.2014 के बिन्दु संख्या 2 में जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे है व बिन्दु संख्या 3 में जो मंदिर, कम्पनीज, बैंक आदि की सुरक्षा में लगे हुये सुरक्षा गार्ड आदि पर लागू नहीं होने का स्पष्ट उल्लेख था। इस आदेश के अनुसार अपीलान्ट को शस्त्र जमा कराने से छूट प्राप्त थी क्योंकि अपीलान्ट के सेना से सेवानिवृत होने के कारण वर्ष 2010–11 से मथुरा में गार्ड की नौकरी पर रह रहा था, इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 13.03.2015 के द्वारा जिन व्यक्तियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित करने के आदेश दिये गये थे, उनमें से ज्यादातर अनुज्ञापत्र बहाल किये जा चुके हैं। परन्तु अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं कर दुर्भावनावश अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि स्वयं पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा उनके पत्र दिनांक 16.05.2016 को अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल करने की अनुशंषा की हुई थी। इसके बाद पुनः पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मंगवाये

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया गया कि अपीलाधीन आदेश में पुलिस से प्राप्त द्वितीय रिपोर्ट में जिस प्रकरण का हवाला दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार विवादित शस्त्र अथवा अन्य किसी आग्नेय शस्त्र का कोई वर्णन नहीं है, दोनों पक्षों के क्रॉस केस साधारण घटनाक्रम के है तथा किसी भी विधि न्यायालय द्वारा आज दिन तक अपीलान्ट को सजायाब भी नहीं किया गया है। अपीलान्ट भूतपूर्व सैनिक है जिसे वगैर शस्त्र के सुरक्षा का कार्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट निलम्बित किये गये लाईसेंस को बहाल किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अपीलाधीन आदेश के पारित होने के बाद कोरोना वायरस के कारण देश में लॉक डाउन घोषित हो जाने से आवागमन बन्द हो गया था। अनलॉक होने के बाद बसों का परिवहन प्रारम्भ होने पर बिना किसी देरी के अदालत हाजा में उक्त अपील पेश की गई थी। अपील पेश करने मे हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु प्रथक से दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र बहुत पुराना है व अपीलान्ट ने इसका कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है और हमेशा समय–समय पर जिला मजिस्ट्रेट करौली के हर आदेश की अक्षरशः पालना की गई है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2022 को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है क्योंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2020 को पारित किया गया है तथा इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर अपील पेश किये जाने के कारण दिनांक 15.07.2020 को उक्त अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई है। अपीलान्ट ने मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जबाब पेश किया गया है और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित अपीलाधीन निर्णय की जानकारी की तिथि पर अविश्वास करने का कोई कारण नही रह जाता है। वैसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में मियाद संबंधी बिन्दु पर इस तरह के सिद्धान्त पारित किये गये हैं कि प्रकरण को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किये जाने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित निम्न सिद्धान्त उल्लेखनीय है, जो कि निम्नानुसार है :–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

अतः उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त से सादर सहमत होते हुये अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2015 जिसके द्वारा अपीलान्ट सहित 20 व्यक्तियों के अनुज्ञापत्र पंचायत चुनाव–2015 में थाने में शस्त्र जमा नहीं कराये जाने के कारण निरस्त किये गये थे, के संबंध में अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में अपील पेश किये जाने पर आदेश दिनांक 30.08.2018 के द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत में निर्णय दिनांक 13.03.2015 को अपीलान्ट की हद तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्यायसंगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें। उक्त आदेश की पालना में जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस आदि दिये जाने का कोई रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में संलग्न नहीं है। यद्यपि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2020 में अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किये जाने का उल्लेख किया हुआ है परन्तु उक्त पत्रावली में अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2018 के पश्चात जारी किये गये नोटिस उक्त पत्रावली में संलग्न नहीं है। वरन् अपीलान्ट की ओर से दिनांक 21.09.2015, 05.10.2015 व 13.06.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ही पत्रावली में संलग्न हैं। उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक करौली से पत्र दिनांक 15.07.2019 व 23.10.2019 के द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी जिसमें अपीलान्ट सहित 28 शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, शस्त्र के थाने में जमा होने संबंधी रिपोर्ट व शस्त्र अनुज्ञापत्र की बहाली के संबंध में स्पष्ट अभिमत भिजवाया जाने के लिये लिखा गया। इस पत्र की पालना में पुलिस अधीक्षक करौली की ओर से पत्र दिनांक 27.12.2019 के माध्यम से अपीलान्ट के संबंध में यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी कि अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नं0 404/11 अंतर्गत धारा 341, 323, 447, 325 व 34 तहत आई.पी.सी. थाना हिण्डौन में दिनांक 06.10.2011 को पंजीबद्ध हुआ है। जिसमें दिनांक 30.08.2014 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की गयी है, जो न्यायालय में जमा है। शस्त्र दिनांक 23.05.15 से थाने में जमा है। आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र को पुनः बहाल किये जाने के संबंध में आपत्ति प्रेषित की गयी, परन्तु पुलिस अधीक्षक करौली की ओर से ही जिला मजिस्ट्रेट करौली को अपीलान्ट के प्रकरण में दिनांक 16.05.2016 को इस आशय की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है कि अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के संबंध में संबंधित थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारी से जांच करायी गयी। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के इस निलम्बित शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अनुशंषा की जाती है। उक्त पत्र में अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 06.10.2011 को दर्ज प्रकरण व उक्त प्रकरण में दिनांक 30.08.2014 को चार्जशीट दायर किये जाने व प्रकरण के न्यायालय में विचाराधीन होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त हुयी विरोधाभासी रिपोर्ट के संबंध में अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व स्थिति स्पष्ट करवाया जाना

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आवश्यक था। इसी प्रकार अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान हिण्डौन सिटी से बाहर रहने तथा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की जानकारी होते ही शस्त्र थाने में जमा कराये जाने का उल्लेख किये जाने, अपीलान्ट के भूतपूर्व सैनिक होने व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 15.10.2015 में वर्णित तथ्यों के संबंध में विधिवत परीक्षण करने के बाद स्पष्ट अभिमत दिया जाना आवश्यक था। जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश में पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 27.12.2019 में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुये यह अभिमत दिया है कि अपीलान्ट तत्कालीन समय में कहां रहे, इसका प्रमाण अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया। इसलिए अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं। परन्तु अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त व उचित अवसर अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व दिये जाने का कोई रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में नहीं है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2020 को उचित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 30.08.2018 में यह मानते हुये कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना चाहिये। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2020 पारित करने से पूर्व यह अवसर दिया जाना आवश्यक था।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट करौली को इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त विरोधाभासी रिपोर्ट के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने/नहीं किये जाने के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्यायसंगत व स्पीकिंग आदेश नये सिरे से पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर